

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 85

रीवा, दिनांक : 1-3-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
छत्रपति साहू जी शिक्षा महाविद्यालय
रतहरी, रीवा (म.प्र.)


विषय :- महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2020-2021 से समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस का स्पष्ट जवाब प्रेषित करने बाबत।

सन्दर्भ :- (1) आपका पत्र क्रमांक/120/मान्यता/2020 दिनांक 20-3-2020
(2) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/विकास/2020/67 दिनांक 7-3-2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जबाब विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14-9-2020 के आइटम क्रमांक 07 में प्रस्तुत किया गया जिसकी अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार प्राप्त जबाब सही नहीं है। अतः वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुये पुनः जबाब 07 दिवस में प्रस्तुत किया जाय। ऐसा नहीं करने पर परिणियम 27 के अनुसार महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी, जिससे होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिये महाविद्यालय की स्वयं जबाबदारी होगी।

आदेशानुसार,



कुलसचिव



प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. रिजनल डायरेक्टर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
6. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
7. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)


क्रमांक/विकास/2021/86

रीवा, दिनांक : 1-3-2021

अधिसूचना

प्राचार्य, पं. टी.पी. शुक्ला महाविद्यालय, बेंकटनगर, जिला अनूपपुर के पत्र क्रमांक/42 दिनांक 10-7-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14-09-2020 के आइटम क्रमांक 4 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, पं. टी.पी. शुक्ला महाविद्यालय, बेंकटनगर, जिला अनूपपुर की बी.ए. (अतिरिक्त विषय) इतिहास एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन कक्षा/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2020-2021 से समाप्त की जाती है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, पं. टी.पी. शुक्ला महाविद्यालय, बेंकटनगर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
7. वित्त नियंत्रक।
8. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
10. कुलपति जी के सचिव
11. कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)


क्रमांक/विकास/2021/87

रीवा, दिनांक : 1-3-2021

अधिसूचना


प्राचार्य, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय, जवा, जिला रीवा के पत्र क्रमांक/2020/617ए दिनांक 28-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14-09-2020 के आइटम क्रमांक 5 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय, जवा, जिला रीवा की एलएल.बी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष, बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष संगीत, दर्शनशास्त्र, एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध संगीत कक्षा/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2020-2021 से समाप्त की जाती है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 26.2.21
३

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय, जवा, जिला रीवा (म.प्र.)।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
7. वित्त नियंत्रक।
8. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
10. कुलपति जी के सचिव
11. कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (विकास)
26/02/2021

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)


क्रमांक/विकास/2021/ 88

रीवा, दिनांक : 1-3-2021

अधिसूचना


प्राचार्य, व्ही.आई.एम.एस., सतना के पत्र क्रमांक/VIMS/APSU/B.Sc. Hons./19-20/953 दिनांक 25-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14-09-2020 के आइटम क्रमांक 2 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, व्ही.आई.एम.एस., सतना की बी.एससी. आनर्स वनस्पतिशास्त्र, गणित, प्राणिशास्त्र कक्षा/पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2020-2021 से समाप्त की जाती है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 26.2.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, व्ही.आई.एम.एस., सतना (म.प्र.)।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
7. वित्त नियंत्रक।
8. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
10. कुलपति जी के सचिव
11. कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (विकास)
26.2.2021

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 84

रीवा, दिनांक : 1-3-2021

अधिसूचना

प्राचार्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा के पत्र क्रमांक/202/2020 दिनांक 23-7-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23-10-2020 के आइटम क्रमांक 6 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा की बी.ए.एल.एल.बी. आनर्स पाठ्यक्रम कक्षा/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2019-2020 से समाप्त की जाती है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्राचार्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)।
2. सचिव, बार काउन्सिल आफ इंडिया, 21 राजज एवन्यू इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110 002
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
5. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
7. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
8. वित्त नियंत्रक।
9. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
10. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
11. कुलपति जी के सचिव
12. कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)


क्रमांक/विकास/2021/53

रीवा, दिनांक : 3-3-2021

अधिसूचना


प्राचार्य, राधाकृष्ण मीरा कानवेन्ट शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर चौरासी, सतना के पत्र क्रमांक/RKMC/2020/483 दिनांक 23-11-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05-02-2021 के आइटम क्रमांक 4 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, राधाकृष्ण मीरा कानवेन्ट शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर चौरासी, सतना की बी.सी.ए. प्रथम वर्ष कक्षा/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021-2022 से समाप्त की जाती है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 2/3/21
३

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, राधाकृष्ण मीरा कानवेन्ट शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर चौरासी, सतना।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
7. वित्त नियंत्रक।
8. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
10. कुलपति जी के सचिव
11. कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (विकास)
३

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)


क्रमांक/विकास/2021/92

रीवा, दिनांक : 3-3-2021

अधिसूचना

अध्यक्ष, शासी निकाय, सरस्वती महाविद्यालय, बहानी कोठी, सरला नगर, मैहर, जिला सतना के पत्र क्रमांक/स./महा./11/2021 दिनांक निरंक के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05-02-2021 के आइटम क्रमांक 5 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, सरस्वती महाविद्यालय, बहानी कोठी, सरला नगर, मैहर, जिला सतना की बी.सी.ए. प्रथम वर्ष कक्षा/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021-2022 से समाप्त की जाती है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 2/3/21
सि

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, सरस्वती महाविद्यालय, बहानी कोठी, सरला नगर, मैहर, जिला सतना।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
7. वित्त नियंत्रक।
8. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
10. कुलपति जी के सचिव
11. कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (विकास)
सि

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)


क्रमांक/विकास/2021/101

रीवा, दिनांक : 5-3-2021

अधिसूचना


प्राचार्य, श्री साई महाविद्यालय, सीधी के पत्र क्रमांक/SSC/71/20 दिनांक 05-10-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20-01-2021 के आइटम क्रमांक 2 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, श्री साई महाविद्यालय, सीधी की बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष कक्षा/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2020-2021 से समाप्त की जाती है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव
रि

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, श्री साई महाविद्यालय, सीधी।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
7. वित्त नियंत्रक।
8. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
10. कुलपति जी के सचिव
11. कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (विकास)
रि

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/102

रीवा, दिनांक : 5-3-2021

प्रति,

अध्यक्ष
शासी निकाय
विन्ध्य कालेज आफ एजुकेशन, सतना (म.प्र.)

विषय :- श्री सूरज कुमार यादव, व्याख्याता शिक्षा का परिनियम 28 कालेज कोड के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन निरस्त करने बावत्।

सन्दर्भ :- श्री सूरज कुमार यादव का शपथपत्र दिनांक 23-11-2020

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित शपथपत्र के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20-1-2021 के आइटम क्रमांक चार की संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार श्री सूरज कुमार यादव, व्याख्याता शिक्षा का परिनियम 28 कालेज कोड के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन निरस्त किया जाता है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्राचार्य, विन्ध्य कालेज आफ एजुकेशन, सतना (म.प्र.)
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
3. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादमिक।
4. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
5. कुलपति जी के सचिव।
6. कुलसचिव के निज सहायक।
7. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)